SHRI SHEO NARAIN (Basti) : There is no quorum in the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let the bell be rung...

Now, there is quorum. Shri Sezhiyan may introduce the Bill.

SHRI SEZHIYAN : I introduce the Bill.

RE : CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of article 217*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The next Bill is in the name of Shri M. N. Reddy. The hon. Member is absent.

INDIAN PENSIONS BILL*

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY (Hoshangabad) : I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to the grant of pension, gratuity and Dearness Allowance payable by the Central Government to its employees, or their dependents, on retirement, voluntary or otherwise, or on death of the Government servant.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to the grant of pension, gratuity and dearness allowance payable by the Central Government to its employees, or their dependents, on retirement, voluntary or otherwise, or on death of the government servant."

The motion was adopted.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Substitution of article 220*)

श्री ओ० प्र० त्यागी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री ओ० प्र० त्यागी : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

16.09 hrs.

RECOGNITION OF TRADE UNIONS BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Madhu Limaye on the 29th March, 1968 :—

> "That the Bill to encourage trade unionism among the employees and to provide for collective bargaining between the employers and representative trade unions of employees, be taken into consideration."

Shri Madhu Limaye has already taken 9 minutes. We have 1 hour and 30 minutes at our disposal for this Bill. So, let the hon. Member be very brief now. Shri Madhu Limaye.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो मैंने आप के सामने रखा है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इस समय हमारे देश में ट्रेड यूनियन आन्दोलन बहुत कमजोर है, उसको शक्तिशाली बनाया जाये । इस उद्देश्य को हासिल करने के लिये इसमें कई सुझाव दिये गये हैं । सबसे पहले तो, जो वर्तमान ट्रेड

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 11.4.68.

यूनियन आन्दोलन की स्थिति है उसके बारे में चन्द आंकड़े सदन के सामने रखना चाहूँगा। इंडियन लेबर स्टैटिस्टिक्स में 1951-52 के बाद ट्रेड यूनियन की संख्या में और साथ-साथ उन्होंने क्या प्रगति की है उसका लेखा-जोखा इसमें दिया गया है।

संक्षेप में 1951-52 में जहाँ 4623 ट्रेड यूनियंस थीं वहाँ सन् 1963-64 में उनकी संख्या बढ़ कर 11868 हो गयी। इन यूनियनों में से जो अपना हिसाब किताब समय पर देती है उनकी संख्या 2556 थी। 63-64 में यह संख्या 7181 हो गयी।

जहाँ तक सदस्यता का सवाल है 51-52 में इनकी सदस्यता करीब-करीब 20 लाख थी और 63-64 में यह करीब-करीब 44 लाख हो गयी। जहाँ तक ट्रेड यूनियंस की आमदनी का सवाल है आप जानते हैं कि इस वक्त यहाँ सब यूनियंस की फ़ीस बहुत कम रहती है। मजदूर समय पर और नियमानुसार फ़ीस देते नहीं हैं। जब कोई मामला आ जाता है वेतन का अथवा मंहगाई भत्ते का तो यूनियन की अक्सर सदस्य संख्या बढ़ती है लेकिन जब वह मामला हल हो जाता है तो उस के बाद सदस्यता गिरने लगती है। 51-52 में ट्रेड यूनियनों की आमदनी 50 लाख थी, 63-64 में वह 1 करोड़ 92 लाख हो गई है लेकिन अगर खर्च और आमदनी इन की तुलना की जाय तो 51 में केवल 5 लाख रुपया एक साल में बचा था। 63-64 में 28 लाख रुपये की बचत हुई। इस से साफ़ दिखाई देता है कि हमारे इस देश में ट्रेड यूनियन आन्दोलन न केवल संगठन व सदस्यता की दृष्टि से कमजोर है बल्कि आमदनी की दृष्टि से भी कमजोर है। उस का नतीजा यह होता है कि ट्रेड यूनियनों को जो कार्य करना चाहिए उस कार्य को और उस जिम्मेदारी को इस देश में वह निभा नहीं पाती हैं।

दूसरे एक सरकारी किताब है 'ट्रेड यूनियंस इन इंडिया', उस में ट्रेड यूनियंस के खर्च का ब्यौरा दिया गया है कि विभिन्न कामों में वह कैसे खर्चा जाता है और उन की जो आय है उस में से कैसे पैसा लगाते हैं। इस के जो आंकड़े हैं, 62-63 के आंकड़े मेरे पास हैं उस से पता चलता है कि करीब-करीब 19 प्रतिशत जो ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं उन के वेतन आदि पर 19 प्रतिशत खर्चा होता है फिर दफ्तर वगैरह के ऊपर जो खर्चा होता है वह उस के ऊपर 25 प्रतिशत खर्चा होता है लेकिन असली जो काम है औद्योगिक झगड़ों को चलाने का या निबटाने का उसके ऊपर केवल 4 प्रतिशत खर्च हो रहा है। जब मजदूर हड़ताल वगैरह करते हैं तो अन्य देशों में ट्रेड यूनियन के चन्दे से, कोष से उन को मुआविजा वगैरह मिलता है। सहायता के रूप में मुआविजा दिया जाता है लेकिन हमारे देश की जो ट्रेड यूनियंस हैं वे केवल हड़ताल कमेटियों की शक्ल में हैं और मजदूरों को खिलाने पिलाने की जितनी जिम्मेदारी है वह यह हमारी ट्रेड यूनियंस निभा नहीं पाती हैं। उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार केवल एक प्रतिशत अपनी आय का वह जो पैसा है यह लोग हड़ताल करने वाले यह आन्दोलन करने वाले मजदूरों के ऊपर खिलाने, पिलाने के बारे में खर्च करते हैं। इसी तरीके से मजदूरों के लिए यह जब मौत वगरह होती है या बुढ़ापा आ जाता है, बीमारी आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है तो बहुत ज्यादा रक़म ट्रेड यूनियन को खर्च करनी चाहिए लेकिन इस वक्त वह केवल 2·7 खर्च करते हैं और जो सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक आदि काम हैं उन के ऊपर 2·6 रकम खर्च होती है। इस से पता चलेगा कि ट्रेड यूनियन का जो आर्थिक ढांचा है वह बहुत कमजोर है। ट्रेड यूनियन आन्दोलन में सब से बड़ी बीमारी यह है कि उन में आंतरिक स्पर्धा बहुत अधिक है और ख़ास कर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो उद्योग या कारखाने चलाये जाते हैं उन में जो मजदूर आन्दोलन की स्थिति

है उस की ओर खींचना चाहता हूँ। आप भूपाल हैवी एलैक्ट्रिकल्स देखिये, 6-6, 7-7 और 8-8 यूनियंस उस में हैं। इसी तरीके से रांची हैवी इंजीनियरिंग में और भिलाई स्टील प्लांट में हर एक केन्द्रीय सरकार के उद्योग में बहुत बड़े पैमाने पर परस्पर-विरोधी और आपस में संघर्ष करने वाली ट्रेड यूनियनों की संख्या है। जहाँ तक निजी क्षेत्र का सवाल है हालत इससे अलग नहीं है। इसलिए इस बीमारी को दूर करना चाहिए जिस से ट्रेड यूनियनों की संख्या घट जाय और अच्छी शक्तिशाली और प्रतिनिधिक यूनियनें हर उद्योग और कारखाने में बन जायें। इन सारे कामों को करने के लिए मैंने कई सुझाव दिये हैं। इन की मैं तफ़सील में नहीं जाता हूँ लेकिन जो मुख्य-मुख्य बातें हैं वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ। मैंने एक सुझाव इस में यह दिया है कि ट्रेड यूनियंस की जो फ़ीस है वह कम से कम एक रुपया मासिक होना चाहिए। आजकल का जो वेतन मान है उस को देखते हुए उस से कम ट्रेड यूनियन की फ़ीस रखने का मतलब यह है कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम एक रुपया मासिक फीस हो। दूसरी बात मैं यह चाहता हूँ कि यह फीस उन के वेतन में से सीधी काटी जाय और मजदूर लिख कर व्यवस्थापकों को मालिकों को देंगे कि हम फलां-फलां यूनियन के सदस्य बनना चाहते हैं तो उस यूनियन को वह फीस सीधी मिल जायगी। इसलिए कभी-कभी आज ऐसा होता है कि 1 महीने वे देते हैं, 8 महीने देते नहीं हैं और फिर एक महीना दे देते हैं तो यह बात खत्म हो जायेगी। यह ट्रेड यूनियंस स्वेच्छा से बनती हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट देशों जैसी कोई उस में अनिवार्यता आये, इस तरह की सदस्यतायें में कोई अनिवार्यता हो इसलिए मैंने अपने बिल में यह भी कहा है कि अगर कोई मजदूर यह लिख कर दे कि मैं कोई ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं बनना चाहता हूँ तो जिसको ऑप्टिंग आउट कहते हैं उस को इसकी छूट है लेकिन वह अगर ऑप्ट आउट नहीं करता है तो वह जिस यूनियन का सदस्य बनना चाहे उस यूनियन की फीस उस के वेतन में से काट कर सीधी मिलनी चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि जब ट्रेड यूनियंस बनेंगी, उनकी सदस्यता बढ़ेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी तो आमदनी बढ़ने के पश्चात् यह जो सारा समाज कल्याण का काम है, शिक्षा का काम है, खेलकूद का काम है अथवा बुढ़ापे में, बीमारी में, मौत में इनकी मदद करने का जो काम है या हड़ताल जो करते हैं तो उनके आन्दोलन करने का जो सारा काम है इन कामों के लिए पर्याप्त मात्रा में इन के पास कोष इकट्ठा हो जायगा। जब हम लोग मालिकों के व्यवहार की या सरकार के व्यवहार की बुराई करते हैं तो हम को ट्रेड यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी जो व्यवहार है उस के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। मैं अनिवार्य रूप में ट्रेड यूनियनों की मान्यता जरूर चाहता हूँ लेकिन इस के लिए मैंने सैक्शन 4 में कुछ शर्तें दी थीं। इन शर्तों की तरफ अगर आप देखेंगे तो उसमें दो, तीन बहुत प्रमुख शर्तें हैं। हर साल ट्रेड यूनियन की साधारण बैठक हो और सदस्यों को अपने पदाधिकारी चुनने का मौका मिले। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि मैं कई ऐसी ट्रेड यूनियंस को जानता हूँ कि जहाँ 8-8 और 10-10 साल में कोई बैठक नहीं होती है। कोई चुनाव नहीं होता है। इनकी आँखों में धूल झोंकने के लिए महज एक चिट्ठी लिखी जाती है कि यह नये साल के पदाधिकारी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल लोकतंत्रीय ढंग से चुनाव हों और दो चुनावों के बीच में 15 महीने से अधिक का अन्तर न हो। अगर चुनाव हर साल सम्भव नहीं है तो दो, तीन महीने के लिए हम सोचने के लिए तैयार

[श्री मधु लिमये]

हैं लेकिन कम से कम यह 15 महीने के अन्दर चुनाव जरूर हों।

दूसरी चीज मैं यह चाहता हूँ कि ट्रेड यूनियनों की सदस्यता खुली रहे यानि जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर किसी के ऊपर रोक-टोक नहीं लगनी चाहिए।

तीसरी चीज यह है कि न्यूनतम फीस जैसा कि मैंने कहा है एक रुपया रखनी चाहिए। जो यूनियन एक रुपये से कम रक्खेगी उस यूनियन को बिल्कुल मान्यता देने का सवाल नहीं उठना चाहिए। साथ-साथ किसी भी हड़ताल का फैसला करने के पहले मैं चाहता हूँ कि हर एक यूनियन के विधान में यह बात रहे कि हड़ताल के लिए गुप्त मतदान के जरिये मजदूरों की पहले सम्मति चाहिए वरना वह हड़ताल नहीं होनी चाहिए। साथ-साथ हड़ताल पर जाने वाले मजदूरों के लिए कोष इकट्ठा करने की भी आवश्यकता है, नहीं तो मजदूर हड़ताल पर जाते हैं कभी सफलता मिलती है कभी नहीं मिलती है, भूखों मरने का सवाल आ जाता है इसलिए जिम्मेदार ढंग से वह अपने आन्दोलन को चलायें, संघर्ष को चलायें। इस-लिए मैं चाहता हूँ कि हड़ताल चलाने के लिए कोष भी इकट्ठा किया जाय और विधान के अनुसार गुप्त मतदान का इंतजाम हो। इतना सब होने के बाद किस यूनियन को मान्यता दी जाय यह केवल एक सवाल रह जाता है। अब जबकि वेतन से सीधे पैसा कटने वाला है तो सदस्यता की तो कोई शर्त रहनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है कि कम से कम 15 प्रतिशत सदस्यता होनी चाहिए। अगर ट्रेड यूनियनों की सदस्यता में 5 प्रतिशत से कम फर्क है तो कह सकते हैं दबाव में आकर किसी को सदस्य बना दिया। असल में फलां-फलां यूनियन प्रातिनिधिक नहीं है और मजदूर दूसरी यूनियन को चाहते हैं लेकिन यदि आप सदस्यता पर जायेंगे तो 4 या 5 प्रतिशत का फर्क रह सकता है।

इसके अलावा दो यूनियनों के विवादों को हल करने के लिये मैंने सुझाव दिया है कि गुप्त मतदान का इस्तेमाल किया जाये। ऐसा नहीं है कि एक यूनियन हो जिसकी सदस्यता बिल्कुल न हो और वह इसकी मांग करे कि बैलट हो। बैलट के वास्ते यह जरूरी है कि कुछ सदस्यता की शर्त हो। दूसरी शर्तें भी होनी चाहियें, लेकिन यदि दो यूनियनों के बीच में, जिनकी सदस्यता करीब-करीब एक जैसी हो, सिर्फ 4 या 5 प्रतिशत का फर्क हो, संघर्ष हो कि कौन प्रातिनिधिक है, तो उस संघर्ष को हल करने के लिए मैं ने बतलाया है कि एक ट्रेड यूनियन अथारिटी का निर्माण किया जाये और उस ट्रेड यूनियन अथारिटी को यह फैसला करने का अधिकार दिया जाये कि कौन यूनियन प्रातिनिधिक है। जो यूनियन प्रातिनिधिक घोषित की जायेगी उस के सम्बन्ध में मजदूरों के लिये अनिवार्यता क्या होगी? मैं ने अन्त में लिखा है कि :

> "A recognised trade Union shall be entitled to negotiate with the employers in respect of all matters connected with the employment......and the employer shall not refuse to reply to letters sent by the said union or to hold discussions with representatives of that union within a reasonable time on a representation being made by that union."

क्योंकि अनिवार्य रूप में मान्यता का मतलब है कि उस यूनियन के साथ आप को बैठना चाहिये, उससे बात-चीत करनी चाहिये, और अगर उस के द्वारा कोई चिट्ठी आती है तो आप को उस का जवाब देना चाहिये, वर्ना मान्यता का कोई मतलब नहीं रहता।

अब इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी, इस के बारे में दो एक शब्द कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। जहां मान्यता का सवाल है उस को हल करने के लिये सब से पहले जब श्री नन्दा बम्बई में मजदूर मन्त्री थे तब उन्होंने जो बम्बई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट था उस में परिवर्तन

ला कर बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ऐक्ट वहाँ पर पास कराया, और उस में एक बहुत ही लम्बी और पेचीदा प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है जिसके तहत यूनियनों वगैरह को मान्यता दी जाती है। लेकिन अक्सर हम बम्बई में देखते हैं कि असल में मजदूरों के हृदय में जिस यूनियन का स्थान है उसको बहुत ही कम दफे मान्यता मिलती है, और दूसरी जो यूनियनें हैं जो मालिकों और सरकार से मिल कर काम करती हैं उन को फायदा होता है। लेकिन मंत्री महोदय एक बात की ओर ध्यान दें कि अब तक इन्टक ने सहरा लिया मालिकों और राज्यों की कांग्रेस सरकारों का, लेकिन जब आठ या नौ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें आ जाती हैं तब इन्टक की बुनियाद ही खत्म हो जाती है। कई राज्यों ने मालिकों ने मुझ से ऐसा कहा, जसे कि जमशेदपुर में कहा। जब उनके डाइरेक्टरों के साथ बहस हुई तो दोनों के दो दल हो गये। एक ने मेरी बात को कबूल किया कि आज तक कांग्रेस सरकार के सहारे इन्टक के साथ मिल कर हमने काम किया। इसका नतीजा यह हुआ कि वह बिल्कुल अराजक हो गये। इससे अच्छा है कि जो शक्तिशाली ट्रेड यूनियन हैं उनके साथ हम बैठें और सौदा करें क्योंकि जो मालिक होगा उस पर उन यूनियनों को असर रहेगा। आज जो कागजी यूनियनें हैं सरकार और मालिकों के सहारे चलने वाली, उनसे क्या होगा? आज इस नई राजनीतिक स्थिति को सभी लोग समझ रहे हैं।

मैं इन्टक के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने पैरों पर खड़े हो जायें और मजदूरों से प्रेम का नाता रखें तब तो आप का कोई भविष्य है, हमेशा के लिये मालिक की ओर देखना और सरकार के सहारे चलना इस पर इन्टक का कोई भविष्य इस देश में नहीं है। इसलिये नई स्थिति की बुनियादी बात को उन्हें स्वीकार करना चाहिये।

श्री नन्दा ने अखिल भारतीय पैमाने पर एक कोड आफ डिसिप्लिन कायम किया। श्री नन्दा ने इस देश में कई प्रयोग किये। मैं मानता हूँ कि उन्होंने सद्भावना से प्रेरित होकर ऐसा किया। भारत सेवक समाज उन्हीं की देन है, साधु समाज उन्हीं की देन है, कोड आफ डिसिप्लिन उन्हीं की देन है। उस कोड आफ डिसिप्लिन का आधार क्या था कि अच्छे अच्छे सिद्धान्त कायम किये जायेंगे और उनके ऊपर मालिक, ट्रेड यूनियन और सरकार तीनों खुशी से अमल करेंगे। लेकिन लगातार हर ट्राइपाटोइट सम्मेलन में शिकायतें आती हैं। जो उनके भूतपूर्व मन्त्री रहे हैं उन्होंने भी अपने भाषण में कहा है, मेरे पास उनके तीन-चार भाषण हैं, कि कोड आफ़ डिसिप्लिन पर बहुत अच्छे ढंग से अमल हो रहा है, लेकिन जहां तक ट्रेड यूनियंस का सवाल है, उन्होंने बराबर कहा है कि कोड आफ डिसिप्लिन पर मालिक लोग अमल नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो केन्द्रीय सरकार है, जो सरकारी उद्योग हैं, उन में भी कोड आफ डिसिप्लिन पर अमल नहीं हो रहा है।

इसलिये मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि केवल इन सब चीजों से यूनियनों को मान्यता देने के बारे में कोई काम नहीं हो पायेगा। नवल टाटा जैसे लोग भी, जो कि मालिकों के प्रतिनिधि हैं, इस नतीजे पर पहूंचे हैं कि यूनियनों के झगड़ों को हल करने के लिये बैलट या मतदान का ही सर्वोत्तम रास्ता है और उसमें से जो शक्तिशाली यूनियनें पैदा हो जायेंगी और उनके साथ सौदा करने में या सुलह करने में भी ज्यादा भला है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। मन्त्री महोदय ने जो नैशनल लेबर कमिशन बनाया है, शायद उसके सामने यह सवाल है, और शायद वे मुझ को यह जवाब देंगे कि मेरा सिद्धान्त तो बहुत ठीक है लेकिन इस पर अमल करने या न करने की

[श्री मधु लिमये]

बात आज कहना मुश्किल है। आज सवेरे ही वह कह चुके हैं कि नेशनल लेबर कमिशन की रिपोर्ट जब तक नहीं आयेगी तब तक कुछ नहीं होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय मानेंगे और आप भी इजाजत देंगे तो जो मेरा प्रस्ताव है उसमें मैं सदन की अनुमति से तरमीम करना चाहूंगा कि इस बिल को परिचालित किया जाय लोकमत जानने के लिये। तब तक नेशनल लेबर कमिशन के सामने भी वह चीज आ जायेगी और दूसरे ट्रेड यूनियन संगठनों के सामने भी आ जायेगी। मैं इसको आज पास करने की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं इसमें तरमीम करना चाहूंगा लेकिन यह मन्त्री महोदय की इच्छा पर है। अगर वह मान जायेंगे तो जो मेरा कंसिडरेशन मोशन है उसको वापस लेकर मैं इसको परिचालित करने के प्रस्ताव में परिवर्तित करने के लिये तैयार हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That the Bill to encourage trade unionism among the employees and to provide for collective bargaining between the employers and representative trade unions of employees, be taken into consideration."

Now, the time is limited.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : We should extend the time.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Wait. He has also suggested—a good suggestion has been made by him—to the Minister concerned and it is for him to respond to it or not. I cannot say or anticipate anything. But I would request the Members to confine their remarks to five minutes each.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, this is a very important Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I do recognise it, but there is the question of time.

SHRI S. M. BANERJEE : Can the time be extended to any resolution but not for this important Bill, Sir ? May I move that the time be extended by half an hour ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri K. N. Pandey.

श्री काशीनाथ पाण्डेय (पदरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री मधु लिमये के भाषण को बहुत तन्मय हो कर सुना। एक तरफ तो वह कहते हैं कि ट्रेड यूनियनें वही जिन्दा रह सकती हैं जो सरकार और मालिकों के भरोसे न रहे, और दूसरी तरफ सरकार से यह कहते हैं कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि उन की यूनियनों का चन्दा इकट्ठा हो जाये। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ट्रेड यूनियन मूवमैंट, चाहे वह किसी देश का क्यों न हो, एकदम सरकार को अलग कर के आप चलाना चाहें तो नहीं चला सकते। माननीय सदस्य इन्टक की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में एक तरह से अराजकता की स्थिति है। जो लोग उन्माद में आ कर कोई आन्दोलन चला देते हैं, जिस का कोई सिर-पैर नहीं होता, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, उस में भी यह देखा जाता है कि लोग उसके साथ हो जाते हैं। पर यह चीज टिकाऊ नहीं होती। टिकाऊ तो वह स्थिति होगी जब लोग अपने दिमाग से काम करेंगे, सोच समझ कर काम करेंगे। ट्रेड यूनियन संगठन वह हैं जिन में बुद्धि का प्रयोग होता है। उन को डील करना पड़ता है एम्प्लायर से। एम्प्लायर सब तरह से क्षमताशाली होते हैं, उन में क्षमता है कि वह आप के साथ बात-चीत कर सके और अपनी प्राब्लेम रख सके। आप को भी इतना योग्य होना चाहिये कि उसके साथ बैठ कर आप बात कर सकें।

मैं आप को बतला रहा हूं कि यह आपका भ्रम है कि खाली आन्दोलन से ही ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलता है। अगर आन्दोलन ही के भरोसे सारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट चले तो न सिर्फ ट्रेड यूनियन मूवमेंट बरबाद हो जायेगा, बल्कि देश भी बरबाद हो जायेगा। जब तक देश में उद्योग हैं

तब तक उसमें मजदूर हैं और ट्रेड यूनियन आन्दोलन भी है और मालिक भी है। लेकिन अगर उद्योग न चले शान्ति से, तो न मजदूर रहेंगे न उद्योग रहेंगे और न ट्रेड यूनियन मूवमेंट रहेगा। इसलिये उद्योग में शान्ति रहनी चाहिये। माननीय सदस्य इन्टक की बात कर रहे हैं। उसने जो काम किया है माननीय सदस्य उसकी अवहेलना कर सकते हैं, वह उस को नजरअन्दाज कर सकते हैं, लेकिन इतिहास उस को नजरअन्दाज नहीं कर सकता। जो काम उसने किया है उसका नतीजा यह है कि लेबर में कम से कम औद्योगिक शान्ति रही और सभी पक्षों को फ़ायदा हुआ। आपको शायद यह मालूम ही होगा कि आई. एन. टी. यू. सी. की वजह से ही वेज का प्रश्न, तनख्वाह का प्रश्न वेज बोर्ड के जरिये से हल हुआ है। अठारह इन्डस्ट्रीज में आज वेज बोर्ड बने हैं और करीब पैंतीस लाख से ऊपर आदमियों को वेज ज्यादा मिल रही है। शुगर इंडस्ट्री की बात मैं आपको बताता हूँ.......

श्री स० मों० बनर्जी : इंडियन लेबर कान्फ्रेंस की वजह से यह हुआ है, आई. एन. टी. यू. सी. की वजह से खाली नहीं।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : यह तो अपने-अपने विचार की बात है। आप हर समय लड़ाई की बात करते हैं, आन्दोलन की बात करते हैं। आप इंडियन लेबर कान्फ्रेंस की बात क्यों करते हैं? इसमें तो मजदूरों के, मालिकों के और गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। वे इस विषय पर विचार करते हैं कि कैसे उद्योग में शान्ति रहे और किस तरह से शान्ति से मसलों को सुलझाया जाए। लेकिन आपका विचार तो बिल्कुल उलटा है। आप तो चाहते हैं कि बैठ कर कोई विचार ही न हो सके। आप तो लड़ना चाहते हैं और लड़ कर एक भी काम आपने नहीं करवाया है। जब आप खुशामद करते हैं तब आपका काम होता है। इस तरह से डींग हांकने से क्या फायदा?

श्री स० मों० बनर्जी : पुलिस की दलाली नहीं करता हूँ।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : मिनिस्टरों की दलाली आप करते हैं।

श्री स० मों० बनर्जी : आप पुलिस की और सरकार की दलाली करते हैं।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : पुलिस की दलाली आप जैसे आदमी करते हैं जिनको डर पुलिस से रहता है। हमें पुलिस का कोई डर नहीं है। हम जानते हैं कि अमन व अमान में किसी तरह का दखल नहीं पहुँचाया जाना चाहिये। पुलिस मेरे खिलाफ क्यों होगी? पुलिस तो उनको ढूंढती है जो अमन व अमान में खलल डालते हैं। आपको उसका डर है।

श्री स० मों० बनर्जी : बैलट से क्यों भागते हैं तब?

श्री काशीनाथ पाण्डेय : हमारे मधु लिमये जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में उनका बहुत समय न लगा हो क्योंकि वह ज्यादातर राजनीति में पड़े रहते हैं। जब कोई ट्रेड यूनियनिस्ट या कोई मजदूरों में काम करने वाला कार्यकर्ता बैलट की बात करता है तब मुझे यह विचार करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है कि वह भाई क्या दरअसल ट्रेड यूनियन मूवमेंट को समझते भी हैं या नहीं? यह कहा गया है कि कौन यूनियन मैजोरिटी में है इसका बैलट से निर्णय होना चाहिये। अब आप देखिये कि यूनियन का एक विधान होता है, उसके लिए कुछ मैम्बरशिप रखी जाती है और जब उतनी मैम्बरशिप हो जाती है तब जा कर उस यूनियन के अस्तित्व को माना जाता है? अब आप वोट किस का डलवाना चाहते हैं। अब अगर दो यूनियनें होंगी तो दोनों की मैम्बरशिप अलग-अलग होगी। अगर आप जबरन वोट डलवाना चाहते हैं तो ऐसे लोग

[श्री काशीनाथ पाण्डेय]

भी उस में भाग लेंगे जिन्होंने कभी चन्दा नहीं दिया है। वही ये चाहते हैं कि ट्रेड यूनियन न रहे और इसी का रोना आज मधु लिमये जी रो रहे थे। वह कह रहे थे कि लोग काम कराते हैं लेकिन चन्दा नहीं देते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि जो भी चन्दा मिलता है, इस बैलट के जरिये से वह भी खत्म हो जाए ?

श्री मधु लिमये : आपने इसको पढ़ा नहीं है।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : मैंजोरिटी उनकी है जो मैम्बर नहीं बनते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि नान-मैम्बर्ज मैम्बर्ज को खत्म कर दें तो यही होने वाला है इसके द्वारा। इसवास्ते मैं कहूँगा कि इसको आप समझने की कोशिश करें। अगर चार यूनियनें हैं और उन चार तक ही इसको कनफाइन किया जाता है और यही देखना आप चाहते हैं कि किसी की मैम्बरशिप अधिक है और उनकी मैम्बरशिप तक ही आप इसको कनफाइन करते हैं और कहते हैं कि वही लोग वोट डाल सकते हैं जो अमुक यूनियन के मैम्बर हैं तब तो कोई प्रश्न ही बैलट का पैदा नहीं होता है और तब तो आप मैम्बरशिप ही उन यूनियंज की देख लें और उसकी जाँच हो जाएगी। मैम्बरशिप अधिक है या नहीं इसको ही देखा जा सकता है और बात खत्म हो सकती है। अगर यह कहा जाता है कि सब लोग वोट डालें और जिस यूनियन का बहुमत हो उसको रिकगनाइज्ड यूनियन समझा जाए और उस में नान-मैम्बरर्ज भी आयें तो यह जो माँग है यह ट्रेड यूनियन की बुनियाद को ही खत्म कर देगी।

लिमये साहब ने जो कहा है उसमें उनकी एक-दो चीजे तो बहुत अच्छी हैं। मैं उनको मानता हूँ। लेकिन इस बिल के जरिये से जो उनका अभिप्राय है वह शायद सिद्ध नहीं होगा। मैं एक-दो सुझाव इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को देना चाहता हूँ। चार आने प्रति मास जो चन्दा रखा गया है वह बहुत पुराना हो गया है, वह बहुत पहले निर्धारित किया गया था। अब उसको बढ़ा कर कम से कम आठ आने कर दिया जाना चाहिये। आप ट्रेड यूनियन को चलाना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी चीज है। आप जानते ही हैं कि आजकल जो लड़ाई होती है वह सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। यूनियन इस लायक नहीं रहती है कि वह वहाँ पर अपने केस की पैरवी कर सके। इसवास्ते उसके फंड्ज को बढ़ाने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि मासिक चन्दे की राशि बढ़ा कर आठ आने कर दी जाए।

दूसरी एक और बात है जिस पर सब को विचार करना होगा। देश में अगर प्रजातंत्र को रखना है तो आपको इस तरह से व्यवहार करना होगा जिससे ये जो उद्योग धन्धे हैं ये चलते रह सकें। हम दूसरे मुल्कों से भी तभी लड़ सकते हैं जब हमारे उद्योग मजबूत हों। अगर उद्योग खत्म हो गए तो देश रह नहीं सकता है और देश में अराजकता फैल जाएगी। नन्दा जी ने जो कुछ किया है उसको हम आज तो नहीं लेकिन आने वाले जो लोग हैं वे याद करेंगे, आने वाले दिन उनको याद करेंगे। कोड आफ डिसिप्लिन के जरिये उन्होंने उद्योगों में शान्ति की बात कही थी। उन्होंने यह आपकी सम्मति से किया। चारों ट्रेड यूनियनें जो हैं उन्होंने इस बात पर सहमति प्रकट की थी और कहा था कि कोड आफ डिसिप्लिन होना चाहिये। ऐसा करके उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसकी प्रशंसा होनी चाहिये।

एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। यह कहा गया है कि मजदूरों का चन्दा काट कर मिल वाले, जो एमप्लायर्ज हैं वे यूनियन को दे दिया करें। इससे हानि यह होगी कि अगर एक फैक्ट्री में तीन-चार यूनियनें हैं तो अब तो वे अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करती हैं चन्दा इकट्ठा करने में और कुछ काम भी करती हैं लेकिन अगर एम्प्लायर चन्दा काट लिया करेंगे

और यूनियन को दे दिया करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि वे मसनद लगा कर बैठ जायें। उनको आप एफर्ट करने दें, काम करने दें, तब वे टिकेंगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि मैम्बरशिप का रेट बढ़ाया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : इस बात से किसी को इन्कार नहीं हो सकता कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन को मजबूत बनाने और उसका स्वस्थ दिशा में विकास करने की आवश्यकता है। अगर यह आन्दोलन मजबूत होगा तो केवल मजदूरों को ही सन्तुष्ट नहीं करेगा, औद्योगिक शान्ति बनाये रखने में भी अपना योगदान देगा। सरकार के लिए और मालिकों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे ट्रेड यूनियंज़ को प्रोत्साहन दें और ऐसा परिस्थितियाँ पैदा करें कि मजदूरों के हितों के साथ-साथ राष्ट्र के हितों का मेल बिठा कर आगे चला जा सके।

इस समय ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के प्रश्न पर सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है। आज प्रातःकाल प्रश्नोत्तर काल में भी चर्चा हुई थी और वह सवाल इस विधेयक से भी जुड़ा हुआ है। अनेक उद्योग ऐसे हैं जहाँ स्वयं केन्द्रीय सरकार ने एक से अधिक यूनियनों को मान्यता दे रखी है। उदाहरण के लिए रेलवे है या हमारे बनर्जी साहब जिन सुरक्षा कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं, वहाँ भी दो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनें चल रही हैं। इस वास्ते प्रश्न यह पैदा होता है कि अगर एक से अधिक ट्रेड यूनियन होना है तो फिर मान्यता का निर्धारण किस आधार पर किया जाए। प्रस्तुत विधेयक में यह बात कही गई है कि केवल एक ही यूनियन को सामूहिक शक्ति के आधार पर मालिकों से या सरकार से जैसा भी स्थिति हो बातचीत करने का अथवा सौदा करने का अधिकार होना चाहिए। सिद्धान्त के तौर पर यह बात ठीक दिखाई देती है लेकिन व्यवहार में इसमें कठिनाई पैदा होती है। उदाहरण के लिए रेल कर्मचारियों की बात मैं रखना चाहता हूँ। डाक और तार विभाग में श्रेणी के अनुसार कर्मचारियों के संगठन बने हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त है। वे अपनी मांगें प्रशासन के सामने रख सकते हैं और ऐसे मान्यता-प्राप्त संगठनों की केन्द्र में कनफैडेरेशन है जो केन्द्रीय सरकार के स्तर पर समझौते की बात करती हैं। लेकिन रेलवे में इस तरह की मान्यता का कोई प्रबन्ध नहीं है। रेलों में अनेक कर्मचारियों की श्रेणियाँ हैं। उनकी अपनी कठिनाई है, उनके अपने हित हैं लेकिन उन्हें मान्यता देने का कोई प्रबन्ध नहीं है। उदाहरण के लिए मैं स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के संगठन से सम्बन्धित हूँ। आप पूना में उनकी बैठक में शामिल हो चुके हैं और उनके अधिवेशन का उद्घाटन कर चुके हैं। अब उनकी श्रेणियों की कठिनाइयाँ कौन शासन के सामने रखेगा, उनका निराकरण कैसे होगा? क्या उन्हें ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में अस्पृश्य समझा जायेगा? केन्द्र में बने हुए संगठन उनके प्रति न्याय नहीं कर सके हैं। इस लिए जो पद्धति डाक-तार में अपनाई गई है, उसे रेलों में भी अपनाना होगा। जो संगठन मान्यता-प्राप्त नहीं हैं, उनके अधिकार क्या होने चाहिए, इस पर भी विचार करना होगा।

मान्यता बदलने वाली चीज़ है। कर्मचारी किसी संगठन का रवैया देख कर उससे विमुख हो सकते हैं। यदि कोई ट्रेड यूनियन लोकतान्त्रिक तरीकों से काम नहीं करती है, या राष्ट्र के संकट के समय ऐसी नीतियाँ अपनाती है, जो सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हो सकती है, तो कर्मचारी और मजदूर उससे विरत हो सकते हैं, वे किसी दूसरी ट्रेड यूनियन में जाने का निश्चय कर सकते है। क्या जब तक उस ट्रेड यूनियन को मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक उसे कर्मचारियों की ओर से किसी भी तरह की

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बात करने का अधिकार नहीं होगा? मेरा निवेदन है कि जिन्हें मान्यता प्राप्त है, उनके साथ सरकार सौदेबाजी करे, लेकिन जो मजदूर संगठन रजिस्टर्ड हो चुके हैं और मजदूरों के किसी अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे पत्र प्राप्त करने का, उन्हें पत्रों के उत्तर देने का और उनके द्वारा पेश किये गए मामलों पर विचार करने का रास्ता खुला रहना चाहिए, चैनल ग्राफ कम्यूनिकेशन कायम रहना चाहिए।

श्री मधु लिमये : इस विधेयक में उस पर कोई रोक नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये, कह रहे हैं कि यह विधेयक इस सम्बन्ध में रोक नहीं लगाता है। मेरा निवेदन है कि वह रोक तो नहीं लगाता है, लेकिन इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है और इस दृष्टि से इस विधेयक में यह कमी है।

श्रम मंत्री महोदय यह स्वीकार करेंगे कि मजदूरों में ऐसे संगठन चल रहे हैं, जिन की मान्यता का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है। उदाहरण के लिए मैं भारतीय मजदूर संघ का नाम लेना चाहता हूं। केन्द्रीय आधार पर उसे मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है? इस में कौन सी कठिनाई है? राज्यों में भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है। मान्यता के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये जायें, इस बात का मैं स्वागत करूंगा, लेकिन नियम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो मजदूर संगठित नहीं हैं, या ऐसे संगठन से सम्बन्धित नहीं हैं, जो मान्यता-प्राप्त हैं, उन मजदूरों के हितों पर आंच नहीं आनी चाहिए। हमारा प्रयत्न हो कि हम अधिक से अधिक मजदूरों को संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलन में लायें, लेकिन सभी इस बात को जानते हैं कि मजदूर एक-साथ कई संगठनों से अपने को जोड़ लेते हैं, कई संगठनों के एक-साथ चन्दे देते हैं। अगर कुछ काम कराना हो, तो वे आई० एन० टी० यू० सी० के पास जाते हैं और अगर लड़ाई लड़ना हो, तो दूसरे मजदूर संगठनों के पास जाते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि आई० एन० टी० यू० सी० की शक्ति ज्यादा है। इसका इतना ही है कि सरकार के साथ मिल कर, या मालिकों के साथ जुड़ कर, वे उनके साथ कुछ सौदेबाजी करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि मजदूरों के संगठनों को मान्यता देते समय हम उन मजदूरों का भी ख्याल करें, जो अभी तक ट्रेड यूनियन आन्दोलन से सीधी तरह सम्बन्धित नहीं हुए हैं, लेकिन जिन की कठिनाइयाँ वास्तविक हैं और जिनको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए।

प्रस्तुत विधेयक में कुछ सुझाव अच्छे हैं। उदाहरण के लिए मजदूरों के क्षेत्र में ऐसे संगठन होने चाहिए, जिनके दरवाजे सब के लिए खुले हों। हम साम्प्रदायिक या जातीय आधार पर मजदूरों को बांटने की ग़लती नहीं कर सकते। मजदूर मजदूर के नाते अपने अधिकारों के लिए लड़े, भाई-चारे के आधार पर काम करे, यह बहुत आवश्यक है। मजदूरों के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता या संकुचित संकीर्णता के लिए किसी प्रकार का स्थान नहीं हो सकता है।

यह भी जरूरी है कि ट्रेड यूनियन की बैठक प्रति-वर्ष हो और पदाधिकारियों का चुनाव ठीक तरह से किया जाये। मैं इस बात से सहमत हूं कि मजदूर संगठनों की बैठक नहीं होती है या बैठक की सूचना इस तरह से दी जाती है कि वह सब को नहीं मिल पाती है। कुछ व्यक्ति मजदूर संगठनों पर कब्जा जमा कर बैठे हैं और वे अपनी चौधराहट को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। उनके विरुद्ध मजदूरों को आगे बढ़ाने का और अपनी इच्छा से पदाधिकारी चुनने का अवसर मिले, इस बात की बहुत आवश्यकता है।

इस विधेयक में यह कहा गया है कि ट्रेड यूनियन एथारिटी का निर्माण होना चाहिए, जो मान्यता के सम्बन्ध में विचार करे, निर्णय करे। अभी मान्यता का प्रश्न सरकार या मालिकों पर छोड़ा गया है। मैं समझता हूं कि यह सुझाव ऐसा है, जिस पर श्रम मंत्री महोदय को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। मान्यता के प्रश्न को मालिकों या सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जाये, इसके बारे में सरकार को सोचना होगा।

आज श्रम मन्त्री महोदय ने प्रश्नों के उत्तर देते समय कहा है कि नेशनल लेबर कमीशन इन पहलुओं पर विचार कर रहा है। मैं समझता हूँ कि श्री मधु लिमये का यह सुझाव अच्छा है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित कर दिया जाये, इस पर मजदूर संगठन अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया प्रकट करें और फिर यह इस सदन में आए। तब तक शायद कमीशन की रिपोर्ट भी इस सदन के सामने आ जायेगी और सदन इस स्थिति में होगा कि कोई ठीक फैसला कर सके।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस वक्त आई० एन० टी० यू० सी० की मैम्बरशिप बीस लाख है। अभी उसके मुकाबले में कोई मजदूर संगठन नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : सभी बोगस हैं। दफ़तर में सब रसीदें फ़ाड़ दी जाती हैं।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : **बोगस आदमी को सब कुछ बोगस नजर आता है।**

श्री तुलशीदास जाधव (बारामती) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये, ने रखा है, उसमें कई सुझाव बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह बात सही है कि हर एक इंडस्ट्री में यूनियन्ज़ के आपस में जो झगड़े होते हैं, उनसे मजदूरों का बड़ा नुकसान होता है और साथ ही मालिक भी उनसे फ़ायदा उठाते हैं। मैंने भी बहुत दिनों तक शोलापुर शहर में यूनियम में काम किया है और यूनियन्ज स्थापित भी की है। मेरा अनुभव है कि एक यूनियन न होने के कारण और अलग अलग यूनियन्ज में परस्पर स्पर्द्धा होने के कारण मालिक लोग कहते हैं कि एक यूनियन यह कहती है, दूसरी यूनियन यह कहती है, हम किसका कहना मानें। बाद में यह कानून बना कि जिस यूनियन को मान्यता मिल जाये, उसी यूनियन के साथ मालिकों को व्यवहार करना चाहिए।

कहने के लिए तो यह ठीक है कि एक धंधे में एक ही यूनियन हो, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि जब ऐसा हो जाता है, तो कभी कभी यूनियन की ताकत बहुत कम हो जाती है। उस स्थिति में यूनियन के पदाधिकारियों को इस बात का डर नहीं रहता है कि अगर वे कोई बुरा काम करेंगे, तो दूसरी यूनियन की ओर से उसकी आलोचना होगी। कोई दूसरी यूनियन न होने से उस यूनियन के पदाधिकारी मालिकों के साथ किसी भी रीति से व्यवहार करेंगे, जिससे कभी-कभी मजदूरों का नुकसान भी होगा। मेरा अनुभव है कि आपस में एक काम्पीटिटिव और हैल्दी होड़ बनाए रखने के लिए कि कौन सी यूनियन अच्छा काम करती है और कौन सी नहीं करती है, इंडस्ट्री में दूसरी यूनियन के रहने की भी जरूरत है। अगर आप एक स्थान पर जबर्दस्ती दूसरी शाप्स को बन्द करके एक शाप ही रखें, फिर उसके अन्दर कैसा ही गन्दा माल रहता हो, वह कन्ज्यूमर को लेना ही पड़ेगा। तो यह बात ठीक नहीं है। कहीं पर दो यूनियन्स हैं या ज्यादा यूनियन्स हैं तो उनके आपस के वैर से मजदूरों का नुकसान भी नहीं होना चाहिये। कोई भी

[श्री तुलसीदास जाधव]

यूनियन हो, जैसा कि कहा गया कि अगर 15 परसेन्ट मेम्बर हैं तो उसको मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर एक यूनियन को मान्यता मिली और उसका रिश्ता मालिक के साथ रहता है तो फिर यह शक भी हो सकता है कि गवर्नमेन्ट आफिसर अपना पूरा काम करते हैं या नहीं। जैसे कोई गवर्नमेन्ट की पार्टी है, उसको सहायता करने वाली एक यूनियन है, उसको मान्यता मिली है तो फिर यह शक पैदा हो सकता है कि उस यूनियन की मेम्बरशिप ठीक है या नहीं। आफिसर उसमें दिलचस्पी लेते हैं या नहीं क्योंकि वह गवर्नमेन्ट की पार्टी है?

अब सवाल यह है कि 15 परसेन्ट किसी यूनियन के मेम्बर हैं या और यूनियन्स के जितने मेम्बर हों उन्हीं को वोटिंग की पावर हो या सारे मजदूरों की वोटिंग की पावर हो चाहे वे किसी यूनियन के मेम्बर न भी हों। कुछ मजदूर किसी यूनियन के मेम्बर बनते हैं। और कुछ मजदूर किसी यूनियन के मेम्बर बनते हैं लेकिन कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो किसी भी यूनियन के मेम्बर नहीं बनते हैं। ऐसे मेम्बर न बनने वाले मजदूरों के हाथ में भी वोटिंग की पावर हो, मैं समझता हूँ यह भी ठीक नहीं होगा। श्री मधु लिमये के मन में क्या बात है, मैं नहीं जानता लेकिन मैं समझता हूँ विभिन्न यूनियन्स के जो मेम्बर हों, चाहे किसी भी यूनियन के हों, वे वोट दें। ऐसे सभी लोगों की एक वोटर्स लिस्ट बना ली जाए और उनको वोटिंग की पावर दी जाये। बाकी दूसरों को वोटिंग की पावर नहीं होना चाहिए।

जहाँ तक सब्सक्रिप्शन वसूलने की बात है, मैं नहीं समझता कि यह कहाँ तक मुनासिब होगा कि जहाँ उनको तनख्वाह मिलती है वहीं पर सब्सक्रिप्शन कटवा लिया जाये क्योंकि उसमें मजदूरों को बहुत बड़ा धोका हो सकता है। मैं समझता हूँ कि यूनियन्स को सब्सक्रिप्शन इकट्ठा करने में बड़ी तकलीफ होती है, वे देते नहीं हैं लेकिन साथ ही साथ यूनियन्स का भी फर्ज है कि मजदूरों को सिखायें। मुझे दो तीन जगह मजदूरों से चर्चा करने का मौका मिला, उन्होंने कहा कि हम सब्सक्रिप्शन कटवाते नहीं हैं, दफ्तर में आकर देते हैं। फरवरी के पहले वीक में मैं मलेशिया और सिंगापुर गया था। वहाँ कुआलालाम्पुर में भी यूनियन है और उसमें अपने ही देश के लोग हैं, साऊथ इण्डियन्स हैं जोकि काम करते हैं, मैंने उनसे चर्चा की कि तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कैसे इकट्ठा होता है तो उन्होंने कहा कि हर जगह पर आफिस हैं, वहाँ जाकर पैसा देते हैं। अगर वहाँ नहीं गये या यूनियन में काम करने वाले लोग नहीं आये तो फिर मनी आर्डर से भेज देते हैं। इतनी कान्शसनेस वहाँ मजदूरों में है मलेशिया के अन्दर वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इण्डियन वर्कर्स हैं, साउथ इण्डियन्स। इसलिये मैं नहीं समझता यह कहाँ तक उचित होगा कि मिल में जो पगार होती है उसमें से ही सब्सक्रिप्शन कटवा लिया जाये। जहाँ तक मेरा अनुभव है, यह कोई हेल्दी कन्वेन्शन नहीं होगा यूनियन्स के लिये। यह यूनियन्स का काम है कि वे घर-घर जाकर मजदूरों को समझायें और अपने कार्यों से उनके दिल में प्रेम पैदा करें ताकि वे स्वयं आकर यूनियन को पैसा दे दें या मनी आर्डर से भेज दें। बस मुझे इतना ही कहना था।

श्री० स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामने है, उसके लिए मैं मधु लिमये जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस विधेयक के कुछ अंश ऐसे हैं जो यूनियन्स चलाने के लिये निहायत जरूरी हैं। लेकिन एक चीज पर मेरी कुछ मुखालिफत है, मुखालिफत नहीं, बल्कि संशोधन है। मैं मानता हूँ जैसा कि काशीनाथ पाण्डे जी ने और जाधव जी ने कहा कि अगर मैनेजमेन्ट के हाथ में या इम्पलायर के हाथ में यह काम दे दिया जाये कि वे चन्दा कलेक्ट करें और यूनियन्स को दें तो उसमें भ्रम होगा। मैं समझता हूँ

उसके बजाय यह प्राविजन होना चाहिये कलेक्शन एट दि पे टेबिल । हर यूनियन को हक होना चाहिये, कि जहाँ पर पैमेन्ट हो रहा हो वहाँ पर सब्सक्रिप्शन कलेक्ट कर सके । डिफेन्स के कारखानों में हमने ऐसा किया है, वहाँ पर पे-टेबिल पर कलेक्शन करते हैं। अब चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, उसमें अगर मैनेजमेन्ट की तरफ से कलेक्शन शुरू हो जायेगा तो वह उचित नहीं होगा । मज़दूर जो पैसा देता है वह साल भर के कार्य को कसौटी पर चढ़ाता है तब पैसा देता है। वह यह देखता है कि क्या किया गया है और क्या करना चाहिये । मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो चन्दा देते ही नहीं हैं । लेकिन जो चन्दा देते हैं, जो ट्रेड यूनियन माइन्डेड हैं, जिनके दिमाग में ट्रेड यूनियन की जागृति और राष्ट्रीय जागृति है, वे जब चन्दा देते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिये कि साल भर का लेखा-जोखा ले सकें, स्टाक टेकिंग के बाद चन्दा दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री काशीनाथ पाण्डे जी का भाषण सुना, मैं हमेशा बाहर भी सुनता रहता हूँ । उनका कहना है कि आई० एन० टी० यू० सी० की मेम्बरशिप 20 लाख है । दिल्ली में अगर यह सरकार जिन्दा रही तो हो सकता है उनकी मेम्बरशिप एक करोड़ भी हो जाये क्योंकि वह दिन ब दिन बढ़ती रहती है । उनके जो सदस्य मर जाते हैं उनके नाम भी चढ़े रहते हैं । उनकी तादाद कभी घटती नहीं है । लेकिन आज अगर उनको विश्वास है कि इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्य दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर बैलेट के सिद्धान्त को माननेमें उनको क्या एतराज है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि वह चाहे आल इंडिया डिफेन्स इम्पलाईज फैडरेशन हो, आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन हो, नेशनल फेडरेशन आफ पोस्ट्स ऐन्ड टेलीग्राफ्स इम्पलाईज हो, चाहे सूती मिल फेडरेशन हो, हम चाहते हैं कि उसमें बैलेट हो जाये। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि फिर उसके बाद आई०एन०टी०यू०सी० को 10 परसेन्ट से ज्यादा वोट मिलने वाले नहीं हैं । या तो वे कहें कि हम बैलेट से घबराते हैं । वरना इस बात के कहने से काम चलने वाला नहीं है कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, औद्योगिक शांति स्थापित करना चाहते हैं या इन्कलाब की बात करना चाहते हैं । यह बिल्कुल गलत बात होगी ।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : मैंने कहा था कि नान-मेम्बर्स को यूनियन्स के लिये वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : अगर कोई यूनियन के मेम्बर नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको भी आर्गेनाइज करें, उनको भी मेम्बर बनायें । मेम्बर बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम उनको बतायें कि आखिर यूनियन क्या काम करती है । आई० एन० टी० यू० सी० का यह कहना है कि बैलेट जो हो वह खाली मेम्बरों में हो, वह तो सालाना चुनाव हो जायेगा, उसमें कोई बात नहीं है । उद्योग में जितने लोग काम करते हैं, मैं जानता हूँ कि इसमें वे राजी नहीं होंगे, उसका कारण यह है कि...

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : It is not there. He says :

> 'If the difference in the membership of the two largest unions... ...'

First he says that there should be membership. If the difference in the membership of the two largest unions is less than 5 per cent, then there will be a ballot, not of all the workers.......

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप बैलेट के सिद्धान्त को नहीं मानेंगे तो ट्रेड यूनियन डिमोक्रैटिक लाइन्स

[श्री स० मो० बनर्जी]

पर चलने वाली नहीं है। आप जमशेदपुर की यूनियन को देखें या जो टेलको के मजदूर हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर एजिटेशन तो मजदूर यूनियन करती हैं लेकिन समझौता जान माइकेल कराते हैं। इसलिए कि टाटा साहब उनको चाहते हैं। सरकार भी कभी चाहती थी उनको। सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट तो चाहती ही...

17 hrs

श्री काशीनाथ पाण्डेय : वहां के मजदूरों ने कांग्रेस के मेम्बर को चुन कर भेजा है।

श्री स० मो० बनर्जी : अब को मर्तबा बदकिस्मती से वह चुने गए हैं। मिश्र जी भी थे जिनको उन्होंने चुना था। काशीनाथ पाण्डेय जी की आई०एन०टी०यू०सी० कानपुर में भी है और उनका भी वहां अच्छा खासा असर है। लेकिन वहां से मैं कम से कम बारह साल से तो जीत कर आ रहा हूं। आई०एन०टी०यू०सी० इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी वह समझते हैं। अगर वह समझते हैं कि वह हनुमान जैसी है और उसे मालूम ही नहीं है कि उसकी कितनी शक्ति है तब दूसरी बात है। बैलेट के इशू को लेकर और आई० एन० टी० यू० सी० के इशू को लेकर मैं खुले आम कहना चाहता हूं कि मैं भी इस्तीफा देता हूं आप भी इस्तीफा दें और हिन्दुस्तान के किसी भी शहर से चुनाव हम दोनों लड़ लें और जो जीते उसकी बात को मान लिया जाए। मैं तो कम से कम इसके लिए तैयार हूं।

जो सरकारी कारखाने हैं, जो सरकारी इदारे हैं उनमें कोड आफ डिसिप्लिन को, कोड आफ कंडक्ट को अब तक नहीं माना गया है। कोड आफ डिसिप्लिन रेल मजदूरों के लिये लागू नहीं है, डिफेंस में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिये लागू नहीं है, किसी के लिये लागू नहीं है। इस तरह से अगर यह सुविधा नहीं मिलती है तो समझ में नहीं आता है कि हमारे सामने और क्या चारा है सिवाय इसके कि हम बैलट की डिमांड करें और कहें कि बैलट के जरिये फैसला हो।

इस वक्त हम ट्रेड यूनियंज की बात कर रहे हैं। जम्मू काश्मीर में जो सरकारी इदारे हैं चाहे वे आर्डनेंस डिपो हों या एम० ई० एस० हों, अभी तक वहां कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत उनको रजिस्टर किया जा सकता है। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ था। सब जगह वह लागू हो सकता है लेकिन जम्मू काश्मीर में एक भी यूनियन रजिस्टर नहीं हो सकती है। हमारे मंत्री महोदय को लेबर से काफी प्रेम है, मुहब्बत है फिर क्या वजह है कि जम्मू काश्मीर के मजदूरों के लिए यह जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, इसको एप्लाई नहीं किया जाता है, इसको डिफेंस और एम०ई०एस० के मजदूरों पर वहां लागू नहीं किया जाता है।

सारे के सारे आसाम एरिया में जहां सुरक्षा कर्मचारी काम करते हैं वहां पर आपको यह सुनकर तअज्जुब होगा कि रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियंज के पास हम जाते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फाम दी ओ०सी०, चाहे वह ब्रिगेडियर हो या कर्नल हो कि हां यह यूनियन ऐसी है कि जो रजिस्टर हो सकती है। क्या यही औद्योगिक क्रान्ति है, क्या यह ट्रेड यूनियन को स्वस्थ दिशा में ले जाने का रास्ता है? जब भी हम हाथी साहब से बात करते हैं तो पाते हैं कि उनके इरादे बड़े नेक हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि होम मिनिस्ट्री के आर्डर्ज हैं, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के आर्डर्ज हैं या डिफेंस मिनिस्ट्री के इस तरह के आर्डर्ज हैं और वह मजबूर हैं। मैं चाहता हूं कि वह इसके बारे में हस्तक्षेप करें। लेकिन उनकी हालत तो आज वैसी ही है जैसी अशोका होटल में किसी वैजीटेरियन की होती है। उसको कोई पूछता ही नहीं है सभी जानते हैं कि दाल खायेगा, चपाती खायेगा और पेमेंट तो इसे करना ही पड़ेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि लेबर मिनिस्टर को सोचना होगा कि लेबर प्राबलैम इज एसेंसली ह्यूमन प्राबलैम। आज लेबर को आप फेयर वेज दें, फेयर डील दें वोट का हक दें

ताकि वह आदमियों की तरह से रह सके । वह भी एक अच्छे नागरिक की हैसियत से जीना चाहता है । कोई प्राबलैम ऐसी नही है जो हल नहीं हो सकता है । कोड आफ डिसिप्लिन जो कि पास हुआ था आई०एल०सी० में वह अगर सरकारी इदारों पर लागू नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा । मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जो सैंट्रल अंडरटेकिंग्ज स्टेट्स में हैं चाहे वह भोपाल का हैवी इलैक्ट्रिकल्ज हो, रांची में एच०ई०सी० हो, भिलाई हो, राउड़केला हो, दुर्गापुर हो, इन सब पर स्टेट लाज क्यों लागू हों । ये सैन्ट्रल अण्डरटेकिंग्ज हैं और सैंट्रल लेबर लाज़ इन पर लागू होने चाहिए । इसी तरह से एच०ए०एल० बंगलौर है और कई दूसरे अण्डर-टेकिंग्ज़ हैं ।

मैं चाहता हूँ कि इन सब बातों पर विचार किया जाए । अगर आप चाहते हैं कि औद्योगिक शान्ति हो तो हम उसके लिए तैयार हैं । लेकिन शान्ति तभी रह सकती है जब आप लेबर को फेयर डील दें । मरघट की शान्ति हम नहीं चाहते हैं कोई आदमी कुछ न कहे, उद्योग बन्द हो जायें, मजदूर बेकार हो जायें, ले आफ उनका हो जाय तो यह चीज बरदाश्त तो नहीं हो सकती है । आप कहते हैं कि घेराव बंद करो । घेराव बन्द हो जायेंगे लेकिन छंटनी भी बन्द होनी चाहिये, ले आफ भी बन्द होना चाहिये । वर्ना कुछ नही हो सकता है ।

मैं कहना चाहता हूँ कि इस बिल के सिद्धांत को मान कर जनमत के लिए इसको प्रसारित किया जाए । मैं दुबारा डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि बैलट के सिद्धान्त को आप मानें । आई० एन० टी० यू० सी० में हिम्मत नहीं है । उसका सरकार के साथ कैसा रिश्ता है, उसके बारे में मजदूर क्या कहते हैं इसको आप सुन लें । वे कहते हैं कि यह तो मियां बीवी का रिश्ता है । दिन को झगड़ते हैं, रात को एक साथ रहते हैं । यह इनका काम है । इनका दावा है कि ये औद्योगिक शान्ति रखना चाहते हैं । लेकिन शान्ति तभी रह सकती है जब हम संघर्ष करेंगे । संघर्ष के माध्यम से ही शान्ति रखी जा सकती है । इम्प्लायर्ज का ग्रान-स्लाट हम पर चलता रहे तो आप विश्वास करें कि आई० एन० टी० यू० सी० के लोग जो कुछ भी चाहें कहते रहें, हम उन से भी लड़ेंगे । जब तक छंटनी, जब तक बेकारी के बारे में कोई लैजिस्लेशन नहीं आता है, छंटनी को बैन नहीं किया जाता है, कोड आफ डिसिप्लिन को ठीक तरीके से लागू नहीं किया जाता है और इंडस्ट्रियल ट्रस के एम्प्लायर टुकड़े-टुकड़े करते रहेंगे तो हम इसकी मुखालफित करते रहेंगे.........

श्री काशीनाथ पाण्डेय : उस में हम आपके साथ हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप हमारे साथ हैं इतना कहने से काम नहीं चलेगा । आपका दिल भी हमारे साथ होना चाहिये । दिल हमारे साथ और वोट उनके साथ यह बात भी नहीं होनी चाहिये । दिल भी इधर और वोट भी इधर जब आपका होगा तब काम चल सकता है ।

SHRI K.M. ABRAHAM (Kottayam) : I support the Bill except for Clause No. 8. In Clause No. 8 it is stated that the management should collect the remuneration from the workers and give it to the unions.

AN HON. MEMBER : The Mover is prepared to accept the amendment.

SHRI K.M. ABRAHAM : If he is prepared to accept the amendment I am not going into that. What is the purpose of this Bill after all ? You see, after the independence the INTUC was imposed on the workers, workers of the public undertakings as well as the private managements. The Congress in the Centre, with their influence, were able to do this and the management was asked to accept these unions as the recognised unions. And the managements usually make agreements with these unions without even the knowledge of the workers. That is perhaps one of the reasons of the low wages of the workers and the low standard of the working classes in India today.

[Shri K. M. Abraham]

We must understand one factor, that most of the trade unions today are led by various political parties. We have to accept that fact. For example, the INTUC is led by congress. The AITUC is led by the communist parties. The UTUC, the HMS and other trade unions are also there. There are other federations also which are not affiliated to any political parties. Even in the AITUC I see that the Communist party (Right) and the Communist party (Marxists) are working. There are also quarrels between these unions also. Perhaps I am not going to predict something, but in the AITUC also there may be a split because the AITUC majority may not accept the leadership of the Communist party (marxists) working with them. They may oust them out of the AITUC. Another Trade union centre may emerge again as the trade union centre.

Considering all these facts, we must come to the conclusion how to recognise trade union majority in an industry. It is only through the ballot that the question of majority affiliation of the union of workers can be found out. The majority union must take up the basic demands of the workers such as bonus, wage scales, pay scales etc. But individual cases and disputes may be taken up by the other unions. Those unions must also be accepted by the workers.

Last week I visited the Khetri copper mines. There are 3500 workers there, out of whom 3000 odd workers belong to one union, and only 50 workers are in a certain union which the management has accepted. If I have heard aright, the management came to an agreement with the union representing only 50 workers because they had accepted that union. The union having 3000 odd members was not accepted and was not even called for negotiations.

Therefore, I would submit that through the ballot alone the majority union question can be decided. The other unions may be allowed the right to take up individual cases.

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI): I am really thankful to the hon. Members for discussing this important question and I also thank the hon. Mover for having given this House an opportunity to discuss this very important question on which hinges really industrial relations and industrial peace.

When he says that this Bill is intended to encourage trade unionism and to provide for collective barganiing, certainly it is a welcome measure, so far as I am concerned, and anybody who is interested in that would welcome this.

The only question is whether the Bill as it stands, although the objective is high and very laudable, will possibly end all the trouble that we have in the trade union movement. If it is going to solve and going to be the panacea for all the evils that exist today, certainly I would welcome it. But several hon. Members have thrown some doubts and they have different points of view also. There may be different points of view and there are bound to be different points of view, but ultimately we shall have to try to see that the majority union is recognised. How could that be done ? Shri Madhu Limaye has tried to enunciate and lay down the principles etc., and all these are aimed at ending the trade union rivalry. I think there cannot be a better and more laudable object than this.

We have seen in the past and also in recent years that the trade union rivalry has resulted not only in loss of man-days but even in the loss recently of a leader of a trade union of Bihar. We have seen these things. It happened because of the trade union rivalry in Bihar. If we can solve this problem, then it is a thing which certainly I would welcome.

The question now is whether this Bill by itself will solve the problem. Firstly, the hon. Mover says that there should be a trade union authority, which will decide whether a particular union has the majority membership.

Even today, there is the process of verification and there is some authority which decides it. But as has been pointed out by Shri S.M. Banerjee and some others, they do not have confidence in the verification done by that authority.

Therefore, some other authority is needed. Therefore some non-official authority will have to do it; but it is possible that the other union may object and say that the membership as determined by them is not correct. So, it will be necessary to lay down the procedure by which this has to be determined.

Suppose it is 15 per cent. What will be the basis? Who will decide? The trade union authority? If there is a dispute, somebody will have to decide. Perhaps the hon. Member has the view that this authority itself will be the authority to decide. But as to how that has to be done will have also to be looked into.

Then as to whether it should be by secret ballot or by membership is also not so easy to settle. Shri Vajpayee said that it is not necessary that there should be only one union in one industry; there can be two. He cited the examples of the railway federations, the defence federations and said there are some other industries where there can be more than one union. Shri Tulsidas Jadhav also said that it is not good to have only one union in an industry; there can be more than one.

So this is also a matter to be settled, whether it should be one union or two. Supposing we agree that there should be one union, as Shri Limaye has said, then that union will have the collective bargaining power to negotiate with the employer. What happens to the minority union? Suppose the majority union enters into an agreement with the employer or management—it is representative of 60, 70 or 55 per cent of the workers—there is another union which represents 45 per cent which does not favour that agreement. What happens to them?

Shri Vajpayee had raised the point in the morning also during question hour. He asked: what happens then? I think this should be settled and it should be laid down as to what will be the procedure to be followed in such a case.

As regards his last clause, he said it is only an enabling clause saying that it shall be obligatory for the employer to reply to letters sent. But it is not very clear as to whether any agreement entered into with that recognised union will be binding on the minority union or not. Suppose the minority union says, 'It is not binding on me' and raises an industrial dispute. What happens? Will that dispute be barred or not?

There is another difficulty which I explained in the morning. Take a public sector undertaking under the Central Government, e.g. Hindustan Steel. It may be in Madhya Pradesh, it may be in Bihar, it may be in Orissa or it may be in West Bengal. Now industrial relations are within the purview of State Governments. Suppose this union, according to this Bill, is recognised by the management or employer and agreement is reached. The other union wants to raise a dispute. What happens? The State Government has the jurisdiction and it can entertain the dispute.

So it is not as if this can be done easily by this Bill. It requires consideration by State Governments also and the only way is to thrash out the whole thing, because it is rather complicated, not so easy.

In fact, I had met the various union leaders in the steel industry. We tried to evolve a procedure whether this could be done. Whether it is by ballot or by verification, I am not very much enamoured; what I am concerned with is to see that it should be left to the will of the worker to associate himself with the union and there should not be any intimidation or any thing of the kind whereby he becomes a member.

Take the check-off system which he wants. There again there is that danger which has been voiced by all others, that the employer himself might influence or might go on paying. Then even the poor worker, the illiterate worker, does not know to which union he pays.

I very much appreciate the Mover's sentiment in wanting to build up strong unions. We want unions which have the resources; we want that they should have money and there should be people who are union-minded and who actively associate themselves with the union not only for strikes but for other welfare activities. How can you bring that about unles the worker himself feels that he is a mem-

[Shri Hathi]

ber of the union ? That can only be done if he voluntarily pays his membership fees. Under the system of check-off, I am not saying it categorically but it is very likely, as explained by other friends, the employer may go on deducting the fees and the worker might not be knowing whether he belongs to this or that union.

Then, if there are two unions and the margin between the two is 5%, it is said that there shall be a ballot. Probably the idea is that by that we will be able to determine which is really the representative union. But the ballot may reduce the difference to one or two per cent or may increase it to 7 or 10 per cent. So, I do not think it is going to help much. Any way, that is not a very major issue.

But the whole question is this. It is not purely a question of having one union recognised. We will have to make it compulsory or obligatory on the minority union that any agreement entered into by the majority union will be binding on the minority union and that they will not have any right to raise that, and for that purpose, as has been said in the code of discipline, certain practices will have to be laid down in the Act itself, to be called unfair labour practices. If any body is guilty of that, he shall be derecognised, that also will have to be mentioned, it is not there. If a union is guilty of such malpractice before recognition, we shall have to prescribe some period for which it will not be recognaised. All these are questions which really cannot be discussed here and now.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has himself suggested...

SHRI HATHI : I have said at the very beginning that I very much appreciate the spirit with which he has brought the Bill. I also appreciate its objective. So, there is no question of opposing for the sake of opposing. I am holding a conference of State Labour Ministers on the 19th itself, and this question has been placed on the agenda. You, Mr. Deputy-Speaker, and Mr. Limaye also has experience in the labour field, and you will appreciate that if a majority union enters into agreement, the minority union may go to court. Therefore, I cannot accept the Bill as such, but I can do one thing. The National Labour Commission have already appointed study groups. There are representatives of trade unions, employers and State Governments and others on it. They have gone round all the States ascertaining views. We shall certainly forward this debate to the Commission. But, for the reasons mentioned, I have to oppose the Bill.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बा जवाब नहीं देना चाहता। मैं स्वयं जानता हूं कि जो मान्यता प्राप्त यूनियन होगी, उस के द्वारा जो करार किये जायेंगे, क्या ये सभी मजदूरों के ऊपर, इस में दूसरी यूनियन्स भी आगई, बन्धनकारक रहेंगे। अब इस का विस्तार मैंने नहीं किया है, लेकिन यदि सैक्शन 4 देखेंगे, तो उससे साफ़ है—

> "Any trade union registered under the Indian Trade Unions Act, 1926, shall be entitled to apply to the Trade Union Authority set up under this Act for recognition as the sole bargaining agent of the employees in a particular industry..."

यह बात सही है कि इसका जो मतलब होता है, उस के ऊपर विस्तार से खोज करनी पड़ेगी। जहां तक फीस वेतन से काटने का सवाल है, इस के बारे में जो विरोध प्रकट किया गया है, उसकी आत्मा को तो मैं जानता हूं, वह अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि हर मजदूर स्वयं लिखकर बतायेगा कि वह किस यूनियन के साथ है।

श्री हाथी : यह मुश्किल होगा, लिख नहीं पायेंगे।

श्री मधु लिमये : इस में दिक्कत यह है— आज की स्थिति में शायद पाण्डे जी नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत जगह आई० एन० टी० यू० सी० को करीब-करीब यह सुविधा प्राप्त है। औपचारिक ढंग से काट कर वह नही देते हैं। लेकिन कोई दूसरा रास्ता निकाला जाय, जिससे कि सभी यूनियनों को वहां पर फीस इकठ्ठा करने की कोई सुविधा मिले, तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है।

बैलेंट का सवाल इस लिये आया है कि इस कानून के तेहत औप्टिंग-आउट की जो बात थी, मेरा ख्याल था कि बड़े पैमाने पर ट्रेड यूनियन्ज की सदस्यता में इजाफा होगा। और हो सकता है कि 15-20 प्रतिशत लोग, उससे भी कम लोग लिख कर कहेंगे कि हम किसी भी ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं बनना चाहते। उस के बाद सवाल यह आयेगा कि अगर पांच प्रतिशत का सदस्यता में फर्क है, तो उसको लेकर बड़ा झगड़ा शुरू हो सकता है। इस लिये अच्छा होगा कि जो लोग ट्रेड यूनियन के सदस्य बने हैं, उन सभी लोगों का बैलेट किया जाए और हर एक यूनियन को मौका दिया जाय, क्योंकि सदस्यता में केवल 5 प्रतिशत का फर्क है इसलिये जब सभी लोग वोट देंगे, तो उससे जो यूनियन चुनी जायेगी, उस को व्यापक मजदूर समर्थन हासिल होगा और सोल-बारगेनिंग एजेन्ट के नाते जो काम करना है, उसके लिये आधार तैयार होगा। इसलिये मैंने मतदान की बात की थी।

बाकी जितनी शर्तें हैं, उनका तो किसी ने विरोध नहीं किया, केवल फीस को कैसे इकट्ठा किया जाए, इसके बारे में मतभेद है। फिर जो छोटी ट्रेड यूनियन है, जो सोल बारगेनिंग एजेन्ट नहीं बनेगी, उनको क्या अधिकार दिया जाय, इसके बारे में कोड में या बम्बई इण्डस्ट्रीयल एक्ट में प्रावीजन है। तमाम मजदूरों की ओर से वेतन आदि सम्बन्धी जो बातें हैं, वह मान्यता प्राप्त यूनियन करे, लेकिन जो व्यक्तिगत छोटे विवाद हैं उन के बारे में जो अल्प संख्यक यूनियन है, उसको अधिकार दिया जा सकता है, और भी अधिकार उसको दिये जा सकते हैं।

इस लिये अगर मंत्री महोदय, इस को इस शक्ल में विरोध करते हैं, तो जो मैंने सुझाव दिये हैं कि इसे को परिचालित कीजिये, राज्य सरकारों के पास भेज दीजिये, नेशनल लेबर कमीशन और ट्रेड यूनियन संगठनों के पास भेज दीजिये, तो मैं अपने प्रस्ताव में परिवर्तन करने के लिये तैयार हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has partially agreed; he will circulate the proceedings of the Bill—not circulation in the sense in which you are proposing.

SHRI MADHU LIMAYE : I am not withdrawing.

SHRI HATHI : It will mean a lot of things. This Bill will not suffice. We shall send this to the Labour Commission. So I request him to withdraw this Bill.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम मैं उनसे यह आश्वासन चाहता हूं कि राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियन संगठनों और इण्डियन लेबर कमीशन से बात करने के पश्चात् वह स्वयं अनिवार्य मान्यता देने सम्बन्धी बिल लायेंगे।

SHRI HATHI : After this discussion, we shall send this to them, to the National Labour Commission.

We have actually referred this matter to the National Labour Commission and whatever their recommendations, we shall bring forward a Bill. There is no question about it. After considering the report of the National Labour Commission, we shall certainly do it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Has the hon. Member leave of the House for withdrawing the Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

17.30 hrs.

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(*Amendment of sections 292, 293 etc.*)

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : Sir, I beg to move :

> "That the debate on the motion 'That the Bill further to amend the Indian Penal Code and to provide for matters incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration', which was adjourned on the 29th March, 1968, be resumed now."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That the debate on motion 'That the Bill further to amend the Indian